

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 443]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 नवम्बर 2019—कार्तिक 15, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2019

क्र. एफ ए-3-31-2019-1-पांच-(72).—आयुक्त, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम 2017 (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है), के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-31-2019-1-पांच (58) दिनांक 21 अगस्त, 2019, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के, प्रथम पैरा के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु जुलाई, 2019 मास के लिए प्रारूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में, 22 अगस्त, 2019 को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी:

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अगस्त, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी.

हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2019

क्र. एफ ए-3-31-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-31-2019-1-पांच (72), दिनांक 6 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हर्षिका सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 6th November 2019

No. F A-3-31-2019-1-V-(72).—In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes this following amendments in this department Notification No. FA 3-31-2019-1-V (58) dated the 21st August, 2019, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that the return in FORM GSTR-3B of the said rules for the month of July, 2019 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 22nd August, 2019.

2. This notification shall deemed to have come into effect from the 20th day of August, 2019.

HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.